झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग,
सेक्टर–2, धुर्वा, राँची

अल्पकालीन निविदा सूचना

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत आनेवाले सभी 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूची हेतु विभिन्न प्रपत्रों की ERMS Software के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में डेटा इन्ट्री/फोटो मर्जिंग आदि कार्य करने के लिए राज्य तथा प्रमण्डलीय स्तर पर इस काम के लिए इच्छुक Agencies के पैनल का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक प्रमण्डलीय पैनल में 3 तथा राज्यस्तरीय पैनल में 5 निविदादाता चयनित किये जायेंगे। प्रमण्डल हेतु चयनित पैनल में से ही किसी एक से उस प्रमण्डल के जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उनके जिलान्तर्गत ERMS Software के माध्यम से डेटा इन्ट्री आदि का कार्य कराया जायेगा। राज्य स्तरीय पैनल में से एक या अधिक Agencies से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रमण्डल/सभी प्रमण्डलों/एक जिले/सभी जिलों का कार्य कराने का आदेश, कार्य की प्रकृति/Urgency के आलोक में दिया जा सकता है। प्रमण्डल हेतु प्राप्त न्यूनतम दर पर ही शेष चयनित निविदादाताओं को कार्य करना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम प्राप्त दर सभी जिलों/प्रमण्डलों में लागू की जा सकेगी तथा चयनित Agencies उस दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होंगी।

पैनल में चयन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक–11.4.2013 के अप0 2:00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा उसी दिन अप0 3:00 बजे विभागीय निविदा समिति के समक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी।

इच्छुक निविदादाता दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में अपने तकनीकी एवं वित्तीय निविदा समर्पित करेंगे। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदादाता निविदा खोलने के समय स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा के साथ रु0 2000/– (दो हजार) का अप्रत्यपर्णीय (Non Refundable) बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पदनाम से राँची में भुगतेय होगा, निविदा शुल्क के रुप में संलग्न करना होगा।

तकनीकी निविदा की शर्त्तें

1 निविदादाता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

2. निविदादाता के पास न्यूनतम दो वर्षों का ई0आर0एम0एस0 सॉफ्टवेयर में फोटो मतदाता सूची के डेटा इन्ट्री/मूल मतदाता सूची/अनुपूरक मतदाता सूची की तैयारी एवं इसके डिजिटल प्रिंटिंग के कार्य का अनुभव होना चाहिए। निविदादाता द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम पचास हजार मतदाताओं की Entry तथा अन्य कार्य का अनुभव होना चाहिए तथा इसके लिए संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा एक स्व–हस्ताक्षरित समेकित विवरणी भी संलग्न करनी होगी।

3 निविदादाता को संबंधित सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों जिनमें उनके द्वारा कार्य करने का दावा किया जा रहा है, द्वारा निर्गत उनके पूर्व के निर्वाचन संबंधी कार्यो यथा डेटा इन्ट्री, फोटो मर्जिंग तथा मतदाता सूची प्रिंटिंग के संबंध में संतोषजनक कार्य सम्पादन का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न करना होगा। वित्तीय दावों पर विचार के लिए यह अनिवार्य शर्त्त होगी। यदि किसी निविदादाता द्वारा पूर्व में उन्हें आवंटित कार्य को स्वेच्छा से छोड़ दिया गया होगा तो वे इस कार्य के लिए अयोग्य समझे जाऐंगे। सभी निविदादाताओं को इस आशय का प्रमाण पत्र उन सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा, जहां–जहां उनके द्वारा यह कार्य किया गया है।

4. निविदादाता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। इस क्रम में कम से कम एक करोड़ रुपये के वार्षिक Turn over का तीन वर्षों का Audited Report संलग्न करना होगा।

5. तकनीकी निविदा के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झाखण्ड के पक्ष में तथा राँची में भुगतेय रू0 1,00,000/– (एक लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रुप में जमा करना होगा।

6. निविदादाता को आयकर/वैट निबंधन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। झारखण्ड में VAT का निबंधन यदि नहीं है तो चयन के एक माह के भीतर निबंधन कराना होगा तथा इसके बाद ही उन्हें कार्य आवंटित होगा।

7. निविदादाता द्वारा Sub-contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नही होगी। इस आशय का Undertaking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य के दौरान किसी भी समय यदि Sub-contracting किया जाता है, तो कार्यादेश निरस्त करते हुए जमा की गई जमानत की राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

8. निविदादाता को जिला के लिंक सेंटर तथा विशेष परिस्थिति में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/ सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में कार्य करना होगा। इस आशय का Undertaking निविदा के साथ देना होगा।

9. निविदादाता को आवंटित जिलों में अपने एक प्रतिनिधि को स्थायी रुप से रखना होगा, जो जिला के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से समन्वय करेंगे। इस आशय का Undertaking निविदा के साथ देना होगा।

10. निविदादाता के पास उपलब्ध आधारभूत संरचना यथा कम से कम 25 (पच्चीस) कम्प्यूटर्स (Licenced Operating System सहित), यू0पी0एस0, डेटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा कम से कम पाँच डिजिटल फोटो प्रिंटिंग मशीन होनी चाहिए तथा इसके संबंध में उन्हें स्पष्ट प्रमाण पत्र देना होगा। तकनीकी अर्हता के लिए यह अनिवार्य शर्त्त होगी।

11. निविदादाता को निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित करना होगा, अन्यथा विलम्ब के लिए विपत्र की राशि से पच्चीस प्रतिशत तक कटौती की जाएगी। इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

12. निविदा के संबंध में बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधन करने का सर्वाधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव के पास सुरक्षित रहेगा।

13. यदि किसी निविदादाता के द्वारा एक से अधिक प्रमण्डल के लिए निविदा दी जाती है तो प्रत्येक प्रमण्डल के लिए अलग तालिका में वित्तीय दर देनी होगी। यदि कोई निविदादाता राज्य भर में किसी कार्य को लेने के इच्छुक हैं तो उन्हें इसके लिए अलग से तालिका बनाकर अपनी दर समर्पित करनी होगी। यदि प्रमण्डलों के अलावा राज्य स्तर पर कार्य लेने के लिए निविदा दी जाती है तो उसके लिए अलग से रु0 2000/– (दो हजार) निविदा शुल्क तथा रु0 1.00 (एक) लाख की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

<u>वित्तीय निविदा</u>

वित्तीय निविदा में निम्नलिखित कार्यों का दर (सभी कर सहित) निम्नवत देना होगाः–

प्रमण्डल का नाम(जिसके लिये निविदा दी जा रही है)–

Item of Works	Rate in INR in Figure	Rate in INR in Words
ERMS Software के माध्यम से 1. प्रति प्रपत्र–6 /6A की ऑफलाईन/ऑनलाईन डेटा इन्ट्री (ई0आर0ओ0 के अंतिम निर्णय होने तक)		
2. प्रति प्रपत्र–7/8/ 8A की ऑनलाईन डेटा इन्ट्री (ई0आर0ओ0 के अंतिम निर्णय होने तक)		
3 प्रति फोटो मर्जिंग के लिए दर (उन मामलों में जिनमें डेटा इन्ट्री पूर्व में हो चुकी है)		

(पी0 के0 जाजोरिया)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव